

कार्यालय न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0)

विज्ञापन

क्र. -26/दो-12-1/2017

बेमेतरा, दिनांक 31.01.2019

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 18.02.2019 संध्या 5:00 बजे तक।

परिवार न्यायालय बेमेतरा स्थापना के अंतर्गत रिक्त शीघ्रलेखक (हिन्दी)/सहायक ग्रेड-तीन (टायपिस्ट, सेल अमीन, आदेशिका लेखक)/वाहन चालक/आदेशिका वाहक/भृत्य/फर्राश के तथा आकस्मिक निधि मद के अंतर्गत चौकीदार/स्वीपर के निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य वर्ग			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भूपू.सै.
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
तृतीय श्रेणी पद																		
1.	शीघ्रलेखक (हिन्दी)	02	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	सहायक ग्रेड-3	04	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-
चतुर्थ श्रेणी पद																		
1.	वाहन चालक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
2.	आदेशिका वाहक	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
3.	भृत्य/फर्राश	03	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
आकस्मिक निधि मद (चौकीदार, स्वीपर)																		
1.	चौकीदार, स्वीपर	02	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट - पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

संकेतक - मु.-मुक्त, म.-महिला, दि.-दिव्यांग, भूपू.सै.- भूतपूर्व सैनिक

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(1) शीघ्रलेखक (हिन्दी) पद के लिए-

अ- वेतनमान-

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-7) (28700-91300)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम, 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो।
3. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो।
4. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या समकक्ष के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(2) सहायक ग्रेड-3 (टायपिस्ट, सेल अमीन, आदेशिका लेखक) पद के लिए-

अ- वेतनमान-

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (19500-62000)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम, 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) या समकक्ष के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(3) चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक) पद के लिए—

अ— वेतनमान—

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-4) (19500-62000)

ब— शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवीं) प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
2. हल्का मोटर यान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंस) हो।

(4) चतुर्थ श्रेणी (आदेशिका वाहक) पद के लिए—

अ— वेतनमान—

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-3) (18000-56900)

ब— शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवीं) प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
2. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

(5) चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/फर्शा) पद के लिए—

अ— वेतनमान—

(छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स लेवल-1) (15600-49400)

ब— शैक्षणिक योग्यता—

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
2. सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

(6) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद के लिए—

अ— वेतनमान— कलेक्टर बेमेतरा द्वारा निर्धारित दर पर।

ब— शैक्षणिक योग्यता—

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य एवं सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

नोट :- ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढई एवं प्लम्बर के कार्य क अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, तथा अनुभव के संबंध में (यदि प्रमाण पत्र हो तो) आवेदन के साथ संलग्न करे।

नोट — अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

महत्वपूर्ण— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाय जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरुद्ध नहीं।

आयु एवं पात्रता

- (1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत् शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
 - (अ)– कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (ब)– कोई पुरुष उम्मीदवार, जिसके एक से अधिक पत्नि जीवित हैं और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (2) दिनांक **01.01.2019** को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर के ज्ञापन क्र.–एफ 3–2/2015/1–3, नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्षों में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 की समाप्ति तक प्रदान की गई है। परन्तु अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
- (4) विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत लागू रहेगी, किन्तु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट:–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी–

- (एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (एक) (2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–25–93/1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (एक) (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कान्टिंजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(एक) (4) ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण—छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(एक) (5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

(एक) (6) महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(एक) (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(एक) (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(एक) (9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(दो) (1) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(दो) (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—सी 3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

- टीप – (1) बिन्दु क्रमांक (एक) में अधिक लाभकारी एक ही छूट मिलेगी।
 (2) बिंदु क्रमांक (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।
- उदाहरण – यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी।
- उपरोक्त (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।
- नोट – इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश भी लागू रहेगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- 1- आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए-4 साईज के पेपर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक **18.02.2019** को संध्या **5.00** बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग** लिखा हो, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0) पिन-491335 के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जा सकते हैं। **दिनांक 18.02.2019 को संध्या 5.00** बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप जिला न्यायालय बेमेतरा के वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/bemetara> से डाउनलोड की जा सकती है। अंतिम तिथि दिनांक **18.02.2019** को संध्या 5.00 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
- 2- शीघ्रलेखक (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के अभ्यर्थी जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- 3- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

- 4— आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जावेगा।
- 5— आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
- 6— आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
- 7— अभ्यर्थी किसी शासकीय वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
- 8— आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करेगा और 2 अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित करेगा साथ ही स्वयं का पूर्ण नाम एवं स्पष्ट पता लिखे हुए दो लिफाफा प्रत्येक पर रू. 5/- की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- 9— आवेदन के प्रारूप के अंत में दर्शाये कम के अनुसार ही शैक्षणिक व अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जावे।
- 10— प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच पश्चात् उपयुक्त अभ्यर्थियों को लिखित/प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के एक घंटा पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण पत्र सहित उपस्थित हो सकेंगे, परीक्षा उपरांत उनकी उम्मीदवारी सही पाये जाने पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।

चयन प्रक्रिया

शीघ्रलेखक (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

शीघ्रलेखक (हिन्दी)/सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जिनके निम्नानुसार अंक निर्धारित किए गए हैं—

- | | | |
|--|---|---------|
| 1— लिखित परीक्षा (बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न) | — | 100 अंक |
| 2— प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा | — | 50 अंक |

नियुक्ति हेतु चयन विधि

शीघ्रलेखक (हिन्दी) / सहायक ग्रेड-तीन पद हेतु

प्रथम चरण : लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, समसामयिक विषयों पर प्रश्न, गणित व साहित्य-संस्कृति विषयक प्रश्न से संबंधित 100 अंको का बहुविकल्पीय 50 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्नों के 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही चयन किए गए विकल्प पर प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। परीक्षावधि 1.00 (एक) घण्टे की होगी।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में शामिल शीघ्रलेखक (हिन्दी) तथा सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों के 05 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर द्वितीय चरण की प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

शीघ्रलेखक (हिन्दी) के पद हेतु- (1) इस पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

(2) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह पेंसिल से अथवा स्याही से बनाना निषेधित है और ऐसा दर्शित होने पर जांचकर्ता के द्वारा उक्त पेपर की जांच नहीं की जावेगी।

(3) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा एम.एस. वर्ड या उबन्टू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया जाएगा।

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु- (1) इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में शुद्धता से टाईप करना होगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टंकण अशुद्धियों पर नियमानुसार अंक की कटौती की जावेगी।

(2) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह पेंसिल से अथवा स्याही से बनाना निषेधित है और ऐसा दर्शित होने पर जांचकर्ता के द्वारा उक्त पेपर की जांच नहीं की जावेगी।

(3) प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा एम.एस. वर्ड या उबन्टू ऑपरेटिंग सिस्टम में लिया जाएगा।

वाहन चालक के पद हेतु— इस पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जावेगा।

वाहन परिचालन में प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु पूर्णांक 50 अंक रहेंगे।

नोट — अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाकर उचित प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी, जो मान्य होगी।

आदेशिका वाहक/भृत्य/फर्राश एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद हेतु— आदेशिका वाहक/भृत्य/फर्राश एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जिसकी सूचना जिला न्यायालय बेमेतरा के वेबसाइट <http://districts.ecourts.gov.in/bemetara> पर पृथक से अपलोड की जावेगी।

अभ्यर्थियों की संख्या चयन प्रक्रिया में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 8 वीं/5 वीं के प्राप्तांक के प्रतिशत (%) के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना के सीमा के अधीन आवेदकों की छंटनी की जा सकेगी।

आदेशिका वाहक/भृत्य/फर्राश एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद पर भर्ती हेतु अतिरिक्त व्यावसायिक योग्यता जैसे— इलेक्ट्रीशियन, पलम्बर, कारपेन्टर, कुक, वाहन चालन इत्यादि के ज्ञान तथा पूर्व कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जा सकेगी। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो शासकीय विभाग में कार्य का अनुभव रखते हो उन्हें भी इस संबंध में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

चयनसूची एवं प्रतीक्षा सूची (शीघ्रलेखक (हिन्दी)/सहायक ग्रेड-3/वाहन चालक)

प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3 एवं वाहन चालक के लिए रिक्त पदों की संख्या की दोगुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

- 1— छ0ग0 शासन सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- 2— अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी चरण में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- 3— चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

- 4— परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा की आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- 5— महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।
- 6— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 7— चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराए जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पायी जाती है तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
- 8— यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
- 9— रिक्त पदों की संख्या म कमी या वृद्धि हो सकती है।
- 10— समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्म तिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- 11— उक्त नियुक्ति आरक्षण के संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन कं. सी 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन किया जावेगा।
- 12— आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश दिवस घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस अंतिम तिथि मानी जावेगी।
- 13— आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला न्यायालय बेमेतरा की वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/bemetara> पर अपलोड किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा पात्रता/अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईट में घोषित की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि एवं परीक्षा तिथि जिला न्यायालय बेमेतरा की वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/bemetara> पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 14— आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों को रोल नम्बर आवंटित किया जावेगा। आवंटित रोल नंबर, नाम पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची आवश्यक जाँच एवं परीक्षण की तिथि, समय व स्थान की जानकारी जिला न्यायालय बेमेतरा की वेबसाईट <http://districts.ecourts.gov.in/bemetara> पर अपलोड किया जावेगा आवेदक को प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड कर आवश्यक जाँच एवं परीक्षण हेतु उपस्थित होना होगा। आवश्यक जाँच एवं परीक्षण के लिये अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में स्वयं का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा कर अपना रोल नंबर अंकित कर निर्धारित तिथि,

समय व स्थान पर पहचान पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/पैनकार्ड/स्मार्ट कार्ड) एवं शैक्षणिक योग्यता व विशेष योग्यता संबंधी दस्तावेज की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आवश्यक जांच एवं परीक्षण एक से अधिक दिनों में लिया जा सकेगा।

- 15— चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बेमेतरा को होगा।
- 16— प्रतीक्षा सूची, परिणाम घोषित करने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
- 17— चयन प्रक्रिया के संबंध में न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बेमेतरा का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

अन्य विशेष सूचनाएँ

जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक कौशल परीक्षा हेतु सूचना पत्र उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये डाक लिफाफा के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारा की पृथक-पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। साथ ही जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण सहित उपस्थित हो सकेंगे। परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी यदि सही पाई गई, तो उन्हें लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।

सहो/—

अध्यक्ष,

चयन समिति/न्यायाधीश
परिवार न्यायालय बेमेतरा (छ.ग.)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ।
10. क्या आवेदक विकलांग है ? हां/ नहीं
(यदि हां तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक
14. रोजगार कार्यालय का नाम
15. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं
16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि
17. जीवित बच्चों की संख्या

क्रमांक	नाम	लिंग	जन्मतिथि
1	2	3	4

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

19. क्या आवेदक शासकीय/अद्वशासकीय संस्था में कार्यरत है ? हां/नहीं ?
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें).....
20. क्या आवेदक को किसी दांडिक प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया गया है अथवा दांडिक प्रकरण दर्ज हुआ हो, तो प्रकरण की स्थिति के संबंध में दस्तावेज संलग्न करें
21. संलग्न प्रमाणपत्रों की सूची –
- | | |
|--------|---------|
| 1..... | 6. |
| 2..... | 7. |
| 3..... | 8. |
| 4..... | 9. |
| 5..... | 10..... |

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता